फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान

आशीष बनाम भंवरलाल वगै0

मुकदमा नं0 :- 65/2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 19.06.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	
	19.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 158, 159 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7400है0 ग्राम लाली तहसील जवमारामगढ जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमें वादी ने अपना पैतृक हिस्सा 7/216 भाग की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया है। जिसमें जवाब पेश कर सहमति दी जा चुकी है। इसलिये उक्त टी0आई0 प्रार्थना पत्र का अब कोई औचित्य नही है। इसलिये खारिज किया जावें। प्रार्थी को अपना हिस्से मांग के अलावा टीआई पेश करने का कोई अधिकार नही है। जो कि अप्रार्थीगण को हेरान व परेशान करने के लिये उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र मिथ्या आधारों पर पेश किया गया है जो काबिले खारिज किये जाने योग्य है। अतः वादी को अपना हिस्सा 7/216 भाग दिया जाकर डिक्री करने हेतु सहमति देने के बाद उक्त टीआई का कोई औचित्य नही होने से खारिज किया तथा प्रतिवादी/अप्रार्थी सं0 2 लगायत 8 से कोई रिलिफ नही मांगी है। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी सं0 1 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 सीपीसी एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगणों ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह स्पष्ट अंकित किया है कि मूल वाद में वादी/प्रार्थी को अपना हिस्सा 7/216 भाग दिया जाकर डिक्री करने हेतु सहमति दी है तथा अप्रार्थी सं0 2 लगायत 8 से कोई अनुतोष प्रार्थी/वादी ने नही चाहा है। अतः स्थगन आदेश से अप्रार्थी सं0 2 लगायत 8 को पाबन्द नही किया जा सकता है। पत्रावली में प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी को स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी को स्वीकार किया जाता है एवं पूर्व में जारी स्थगन आदेश को निष्प्रभावी किया जाता है। चुकि मूल पत्रावली फैसल हो चुकी है। जिस कारण स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। पत्रावली में स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला-जयपुर	